

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
(सूचना विभाग)
5-बी, सीजीओ काम्पलैक्स,
लेधी रोड, नई दिल्ली- 110003

प्रेस विज्ञापित

नई दिल्ली, दिनांक-11-05-2012

सर्व-साधारण को आगाह किया जाता है कि अपने आप को सी.बी.आई अधिकारी बताने वाले/ सीबीआई अधिकारियों का जानकार बताने वाले ठगों और सीबीआई लोगो वाले फर्जी ई-मेल से सतर्क रहे।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (सी.बी.आई) के नोटिस में आया है कि कुछ ठग/धोखेबाज खुद को सी.बी.आई अधिकारी/सी.बी.आई अधिकारी का जानकार बताकर सामान्य जनता/लोक सेवकों से पैसा वसूलने और/या लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ठग, सामान्य जनता/लोक सेवकों के असंदिग्ध लोगों से सम्पर्क करते हैं और पैसा या लाभ के एवज में शिकायत/मामले को निपटाने की पेशकश करते हैं। ऐसे ठग सामान्यतः कोई पहचान-पत्र नहीं दिखाते।

यह भी रिपोर्ट मिली है कि सीबीआई लोगो वाले कुछ ई-मेल, जिन पर वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों का नाम लिखा होता है, जनता को भेजे जा रहे हैं, जिनमें फर्जी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लॉटरी धन, बैंक ट्रांसफर आदि के रूप में किए गए फंड ट्रांसफर/विदेशों में रोजगार/भुगतान जैसे विदेशी विनियमों को वैध होने का दावा किया जाता है।

सर्व-साधारण को चेतावनी दी जाती है कि:

सी.बी.आई अधिकारी या सी.बी.आई अधिकारियों का जानकार होने का दावा करके पैसा या लाभ मांगने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति से सतर्क रहे और उन पर भरोसा न करे तथा उनसे पहचान सबूत अवश्य मांगे।

सी.बी.आई किसी भी निधी के विदेशी रेमीटेंस या विनिमय को प्रमाणित नहीं करती/वैध करार नहीं देती। ऐसी कोई भी ई-मेल/दस्तावेज धोखाधड़ी करके बनाया जाता है।

इस संबंध में किसी भी शंका या शिकायत के लिए सी.बी.आई, नई दिल्ली से फोन नं०:- 011-24362755, 011-24361273 या information@cbi.gov.in ई-मेल द्वारा सम्पर्क करें।
